

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: एच.के. कौशिक)
दांडिक अपील क्र.-61/2017
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-27.06.17

1. कैलाश यादव पुत्र गंगा सिंह यादव आयु 54 वर्ष,
 2. श्रीमती विमला पत्नी कैलाश यादव आयु 50 वर्ष,
 3. केशव सिंह पुत्र कैलाश यादव आयु 30 वर्ष,
 4. गीतम यादव पुत्र कैलाश यादव आयु 24 वर्ष,
 5. नीलू उर्फ मातबर पुत्र कैलाश यादव आयु 22 वर्ष,
- निवासीगण ग्राम मघन थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ
 जिला भिण्ड म0प्र0प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा : अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल ।
 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा : अधिवक्ता श्री बी.एस. यादव ।

// निर्णय //
 (आज दिनांक 16.05.2018 को घोषित)

1. यह अपील धारा-374(3) दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय श्री पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 85/14, पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ के अपराध क्रमांक 245/13 अंतर्गत धारा-498ए एवं 323/34 भा0दं0सं0 उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ बनाम कैलाश यादव एवं अन्य में घोषित निर्णय व दण्डादेश दिनांक-01.06.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-323/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए अभियुक्तगण को धारा-498ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध ठहराते हुए अभियुक्तगण केशवसिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर

पांच-पांच दिवस का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया है।

2. प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थीगण को अभियुक्तगण से सम्बोधित किया गया।

3. प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी श्रीमती संगीता की ओर से राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण एक ही परिवार के होकर मधुर संबंध होने के आधार पर राजीनामा स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण निरस्त किये जाने निवेदन किया। आदेश पत्रिका दिनांक 31.01.18 के अवलोकन से धारा 498-ए भा0दं0सं0 शमनीय न होने से राजीनामा आवेदन निरस्त किया गया है।

4. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2013 को शाम लगभग 04:00 बजे फरियादी संगीता की ससुराल स्थित ग्राम मधन में, अभियुक्तगण द्वारा फरियादी संगीता से दहेज की मांग कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने, उसकी मारपीट करने की लिखित रिपोर्ट फरियादी संगीता द्वारा दिनांक 24.10.2013 को थाना मौ पर किये जाने पर, थाना मौ द्वारा फरियादिया के उक्त आवेदन की जांच कर दिनांक 25.10.2013 को अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/13 अंतर्गत धारा-498ए एवं 323 सहपठित 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान फरियादिया संगीता की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। फरियादिया संगीता साक्षी कल्यान, वीरेन्द्र, बलराम एवं शीला के कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-498ए एवं 323/34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अपराध करना अस्वीकार किया गया।

जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को निर्णय की कंडिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अनुसार दण्डादेश से दण्डित किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप न होकर हस्तक्षेप योग्य है?”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

7. फरियादी संगीता अ0सा0-1 के कथन अनुसार उसका अभियुक्त केशव से 20 जून 2010 को विवाह हुआ था तथा अभियुक्तगण कैलाश, विमला उसके सास-ससुर और गीतम व नीलू उसके देवर हैं। फरियादी का यह भी कहना है कि अभियुक्तगण विवाह उपरांत से ही दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर उसे प्रताड़ित करते रहे तथा 20 अक्टूबर 2013 की सायं लगभग 4:00 बजे दहेज में मोटर सायकिल की मांग करते हुए उसको धक्का मारकर घर से निकाल दिया था जिसकी सूचना उसने भाई वीरेन्द्र को फोन पर दी थी जिस पर उसका भाई वीरेन्द्र, कुलदीप व बलराम के साथ उसकी ससुराल वालों/अभियुक्तगण को समझाने आये थे किन्तु उनके द्वारा न मानने पर घटना के संबंध में प्रदर्श पी-1 का आवेदन दिया था जिसका समर्थन करते हुए निहाल सिंह अ0सा0-7 का कहना है कि दिनांक 25.10.2013 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक मोहिरर रहते हुए उसने फरियादी संगीता द्वारा एक आवेदन पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/13 अंतर्गत धारा 323, 498 सहपठित 34 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 लेखबद्ध की थी। प्रदर्श पी-1 के लिखित आवेदन पत्र एवं प्रदर्श पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी इन साक्षीगण के कथनों की पुष्टि होना पायी जाती है।

8. फरियादी के भाई वीरेन्द्र यादव अ0सा0-2, पिता कल्यान सिंह अ0सा0-3, मां शीला अ0सा0-4 द्वारा फरियादी के कथन का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि फरियादी संगीता के विवाह उपरांत से ही अभियुक्तगण दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर प्रताड़ित करने लगे थे। वीरेन्द्र यादव अ0सा0-2 ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 24 अक्टूबर 2013 को उसकी बहिन संगीता ने घटना के बारे में बताया तो बुआ के लड़के कुलदीप और बलराम के साथ उन्हें समझाने पहुंचा था, जिसका समर्थन बलराम अ0सा0-6 द्वारा भी किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः स्थिर रहे हैं। यद्यपि बचाव साक्षीगण वासुदेव व्यास ब0सा0-1 एवं बरनाम सिंह ब0सा0-2 जो कि अभियुक्तगण के गांव के हैं, के द्वारा मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि अभियुक्तगण फरियादी संगीता को घर में अच्छी तरह से रखते थे। उनके द्वारा कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की गई, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किये जाने की घटना सार्वजनिक रूप से न की जाकर घर के अंदर ही कारित होती है। अतः ऐसी स्थिति में बचाव साक्षीगण के उक्त कथनों से अभियुक्तगण को कोई लाभ पहुंचना नहीं पाया जाता है।
9. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य के आलोक में अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग करते हुए फरियादी को प्रताड़ित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिया है और साक्ष्य की विवेचना किए जाने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है। साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित होना, साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में होना तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि प्र0पी0-01 एवं 04 से होना मान्य किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।
10. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को फरियादी से दहेज की मांग कर प्रताड़ित किये जाने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ

न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धि वैधानिक त्रुटि से ग्रसित न होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। फलतः दोषसिद्धि के संबंध में निर्णय की पुष्टि की जाती है।

11. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न, इस संबंध में अवलोकनीय है कि आदेश पत्रिका दिनांक 31.01.2018 अनुसार उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है किन्तु मामला शमनीय न होने से राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त नहीं हो सका है। राजीनामा उभयपक्ष के मध्य होने के उपरांत भी यदि अभियुक्तगण को कारागार की सजा भुगतायी जाती है तो निश्चित ही फरियादी का घर बिखर जायेगा।

12. अतः ऐसीस्थिति में उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अपराध के लिये विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्डादेश को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड की राशि 500-500 रुपये वृद्धि कर 1000- 1000 रुपये किया जाना उचित प्रतीत होता है। अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा न करने की दशा में 15-15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

13. उपरोक्तानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

14. अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर संपूर्ण धनराशि 5000/-रुपये धारा 357 दं0प्र0सं0 के प्रावधान अनुसार प्रतिकर के रूप में फरियादी संगीता को दिलायी जावे।

15. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

16. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

सही / -

(एच.के.कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सही / -

(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)